35

व्यवस्था का प्रश्न

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

टी. ओ. संख्या 91

मूल्य : 14.00 रु.

© 2014 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (पन्द्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अधीन प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

आमुख

यह सारांश संसदीय प्रक्रिया सारांश माला का भाग है और इसमें व्यवस्था के प्रश्नों संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है। यह लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों, प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों और पीठासीन अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णयों और विनिर्णयों पर आधारित है। यह संदर्शिका तत्काल संदर्भ के प्रयोजन के लिए है।

इस सारांश में दी गई जानकारी सम्पूर्ण नहीं है। अत: पूर्ण जानकारी के लिए मूल स्रोतों का ही अवलोकन करें और उन्हीं को विश्वसनीय मानें।

नई दिल्ली;
अप्रैल, 2014
वैशाख, 1936 (शक)

पी. श्रीधरन,
महासचिव।

व्यवस्था का प्रश्न

व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

व्यवस्था का प्रश्न एक असाधारण प्रक्रिया है, जिसके उठाये जाने पर सभा की कार्यवाही निलंबित हो जाती है और उस समय बोल रहा/रही सदस्य अपना भाषण रोक देता/देती है। इसका उद्देश्य सभा का कार्य विनियमित करने के लिए नियमों, निदेशों तथा संविधान के उपबंधों के प्रवर्तन में अध्यक्ष को सहायता प्रदान करना है। यह अनिवार्यत: प्रक्रिया के बारे में होना चाहिए और यह उस समय सभा के समक्ष कार्य से संबंधित होना चाहिए। उस दिन की कार्य-सूची में पहले से सम्मिलित कार्य की मदों के विन्यास से भी यह संबंधित होना चाहिए।

2. उठाया गया कोई प्रश्न व्यवस्था का प्रश्न है अथवा नहीं, इसकी परख इस बात से की जा सकती है कि क्या इसमें उन नियमों, निदेशों तथा संविधान के विभिन्न उपबंधों, जिनसे सभा के कार्य विनियमित होते हैं, निर्वचन अंतर्ग्रस्त है और क्या इसमें ऐसा प्रश्न उठाया गया है जिस पर पीठासीन अधिकारी विनिर्णय दे सकते हैं।

इसे कब उठाया जा सकता है?

3. कार्य न होने की स्थिति में व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता। यह उस समय सभा के समक्ष कार्य से ही संबंधित होना चाहिए। तथापि, अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त

होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अवधि में व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकते हैं, यदि वह सभा में व्यवस्था बनाये रखने या सभा के समक्ष कार्य-विन्यास के संबंध में हो।

4. निम्नलिखित स्थितियों में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता:—

(क) जब किसी प्रस्ताव के संबंध में कोई प्रश्न सभा के सामने रखा जा रहा हो; और

(ख) प्रश्न-काल के दौरान।

वे मामले जिनके बारे में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता

5. पीठासीन अधिकारी उस व्यवस्था के प्रश्न पर कोई विनिर्णय नहीं देता/देती है जिसमें यह प्रश्न उठाया जाता है कि क्या कोई विधेयक सांविधानिक रूप से सभा के विधायी क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है अथवा जो किसी प्रस्ताव/संकल्प के अन्तर्गत चर्चाधीन किसी घोषणा/करार/संधि की संवैधानिकता के बारे में है। ऐसे मामले का निपटारा सभा को करना होता है।

6. किसी सदस्य द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता—

(क) अध्यक्ष द्वारा दिए गए विनिर्णयों पर; अथवा

(ख) पूर्व बैठक की कार्यवाही के बारे में; अथवा

(ग) जानकारी मांगने के लिए; अथवा

(घ) अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए; अथवा

(ङ) सैद्धान्तिक या काल्पनिक मामले; अथवा

(च) यह बताने के लिए कि विभाजन की घंटियां नहीं बजी या सुनाई नहीं पड़ीं; अथवा

(छ) ऐसे मामलों के बारे में जिनमें अध्यक्ष कुछ नहीं कर सकता; अथवा

(ज) कार्य-सूची में नई अथवा अतिरिक्त मद सम्मिलित करने के लिए; अथवा

(झ) जब किसी प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सभा में रखा जा रहा हो।

7. व्यवस्था का प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है। इसके अतिरिक्त, किसी सदस्य को व्यवस्था के प्रश्न की आड़ में किसी मंत्री से स्पष्टीकरण नहीं मांगना चाहिए।

व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठाया जाए?

8. जिस सदस्य को कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना हो उसे खड़ा होकर कहना चाहिए ''व्यवस्था का प्रश्न''। जब तक पीठासीन अधिकारी उस सदस्य को नहीं पुकारते तब तक वह अपने व्यवस्था के प्रश्न पर बोलना आरम्भ नहीं करेगा/करेगी।

अपना व्यवस्था का प्रश्न प्रतिपादित करते समय सदस्य को सभा की प्रक्रिया संबंधी उस विशिष्ट नियम को अथवा संविधान के उपबंध को, जिसकी उपेक्षा अथवा उल्लंघन किया गया हो, उद्धृत करना चाहिए।

9. जब अध्यक्ष बोल रहे/रही हों तो किसी सदस्य को खड़ा नहीं होना चाहिए और खड़े होकर या बैठे हुए नहीं बोलना चाहिए। अध्यक्ष की बात शांतिपूर्वक सुनी जानी चाहिए और बोलने के इच्छुक सदस्य को केवल तभी खड़ा होना चाहिए जब अध्यक्ष बैठ गए/गई हों और उन्होंने सदस्य को बोलने के लिए पुकारा हो।

10. व्यवस्था का प्रश्न उठाते समय सदस्य को भाषण नहीं करना चाहिए, बल्कि सीधे अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहिए।

11. एक ही मामले से संबंधित किसी व्यवस्था के प्रश्न को किसी सदस्य द्वारा एक से अधिक बार नहीं उठाया जा सकता। इसके अतिरिक्त, एक बार केवल एक ही व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। व्यवस्था के प्रश्न पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता।

12. कोई उठाया गया प्रश्न व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं, इस बारे में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

13. व्यवस्था के प्रश्न पर वाद-विवाद की तो अनुमति नहीं है परन्तु यदि अध्यक्ष ठीक समझे तो वह अपना निर्णय देने से पूर्व सदस्यों की बात सुन सकता/सकती है।

[व्यवस्था के प्रश्न संबंधी प्रक्रिया लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 376 से संचालित होती है।]

4